साइकल का प्रेविटेशन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा सवाल जो आदरणीय सदस्य का है वह बहुत इम्पोटेंट सवाल है। इससे इस एरिया में काफी काम करता है। फॉर एक्जाम्पल—यह लेबोरेटरी है जहां से यह फॉरकास्ट आई है उसके साथ उनका कोलेबोरेशन है और उनकी ये सारी मेहती है। यह गुजराती वर्ड है...

उपसभापति: यह ठीक है। मेहती इज करेक्ट।

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ: वह सारी इनफारमेशन उनके पास है। इसीलिए वह इस बात पर पूरे चौकन्ने रहेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि संसपोट साइकल का सोलर साइकल के ऊपर, जिस तरह से माननीय सदस्य ने उसको डिलाइन किया है, उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट होगा।

I think, we have learnt enough science. I am very happy that there were questions like this. ...*(Interruptions)*...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, एक मिनट मैं क्षमा चाहूंगा....

उपसभापति: आप ज्योतिष की बात नहीं करिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, मंत्री जी ने खुद कहा है कि लम्बी अवधि का साइकल होगा। आपने खुद अपने जवाब में कहा है कि यह साइकल लम्बी अवधि का होगा। अब आप सोलर की बात क्यों कर रहे हैं?

SHRI YOGINDER K. ALAGH: This is the revolution of the earth around the Sun in 365 days and is not affected by the Sun spot cycle.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is a revolution and there is revolving. There are two things. Okay, now, let us move to the next question.

Revival of Burn Standard Company Limited

*162. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI BRATIN SENGUPTA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the status of revival plan of Burn Standard Company Limited;

(b) whether Draft Rehabilitation Scheme is being circulated for the consent of all concerned;

(c) if not, the reasons for the delay;

(d) whether Government/Management have formulated any revival scheme in consultation with the Operating Agency; and

(e) if so, the salient features of the scheme and by when it is likely to be approved by Government?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) BIFR has directed Industrial Investment Bank of India, the Operating Agency (OA) to prepare a draft rehabilitation scheme for circulation. A draft rehabilitation scheme is under preparation by OA in consultation with Government, management and other concerned parties. The question of approval would arise once the scheme is finalised.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Back to the ground from a new solar cycle. This is an old plant. This is a plant which manufacturers wagons and refractories covering four States—West Bengal, Bihar, Tamil Nadu and Madhya Pradesh. This was referred to the B.I.F.R. in November, 1994. I am aware that the Ministry is very seriously considering various options for making a rehabilitation plant for this unit. As we all know, and the hon. Minister also many a time said on the floor of the House, the time is the essence of any revival. If the time is the essence, my question relates to the time factor only. As far as I could see from the B.I.F.R. hearings, there are hearings on 29th January, 1996, 5th July, 1996 and 17th October, 1996, and on all these occasions, the Bench had asked the Government to take not more than two

months' time for preparation and circulation of the rehabilitation plant. A consultant, Dastur, is already there. My first supplementary to the hon. Minister, knowing the time is the essence of revival, is, should we not fix up a time-limit for circulation and approval of this revival scheme?

SHRI MURASOLI MARAN: Madam, this company is of a tragic story right from the year 1976. It was one of the sick private sector undertakings which has been taken over by the Government. From commanding heights of the economy we started acquiring sick units. In fact, most of the losses for the Government are incurred because of sick units. Right from 1976, the company is incurring loss. It was referred to the BIFR on 24th November, 1994. Negotiations are going on. We are discussing with the operating agency. Last time we met was on 28th July, 1997. They have been asked to give the draft revival scheme within a month. After a month, after receiving the draft revival report, we will start further discussions with them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I still believe, there has to be a certain time-frame.

Anyway, I come to my second supplementary. Incidentally, two days back, I had a discussion with the railway officials. One of the problems of this company is working capital. During the time it is under reference to the BIFR, and till the revival scheme is finalised, if there is no non-Plan support, it becomes further sick. It gets further and further weakened. The Railway Ministry has been pressurising that the deliveries are not in time. Now, the deliveries are not in time because of the lack of working capital. Moreover, if the deliveries are not in time, the company loses its credibility further in the market.

Under these circumstances, till the revival scheme is finalised, would the hon. Minister kindly assure us that the necessary budgetary support, non-Plan support, for working capital, as a 'holding-on' operation, would be given to the company?

SHRI MURASOLI MARAN: Madam, I agree with the hon. Member. The performance of the BSCL is very much dependent on the orders for wagons by the Railways. The company would continue to perform well, as long as it has sufficient orders from the Railways. I would like to inform the hon. Member, in this connection, that the Government has already provided funds for debottlenecking. A sum of Rs. 4 crores was provided during 1996-97 as a crucial balancing fund. This is for investment in machinery, major repairs and replacement.

Out of this sum of Rs. 4 crores released last year, I think, they have spent Rs. 2.5 crores. Some amount is left. Again, another sum of Rs. 5.25 crores is likely to be provided this year.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Very good.

SHRI MURASOLI MARAN: We have been pleading with the Planning Commission and the other departments for sanction of the amount. We will sanction the amount as soon as possible.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Very good. Thank you.

SHRI R.K. KUMAR: Madam, my question is not directly related to this particular company, but it is about the sickness, in general.

This company became sick. It is then referred to the BIFR. The reference is made in Form 'A', which is an elaborate form. One of the important questions which has to be answered in the Form 'A' is: how far the Government's policies, Government's economic policies, are responsible for these companies becoming

sick. I would be grateful if the hon. Minister could get the information from the BIFR as to how many companies, during the last three years, have become sick because of the economic policies of the Government of India.

SHRI MURASOLI MARAN: Madam, it would require a separate analysis. Everybody is responsible for this sickness. I think the SICA is being restructured now. It is before the Standing Committee of Parliament. The hon. Member can give his suggestions to that Committee.

SHRI SATISH AGARWAL: What is the use of giving suggestions?

श्री जनार्दन यादव: मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उद्योग सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और वे बी॰आई॰एफ॰आर॰ में चले जाते है उनका निर्णय करने में आप चार साल की देरी क्यों करते हैं? आप इनका समय निर्धारित कीजिए क्योंकि जो प्लान्ट है वह बहुऔद्योगिक प्लान्ट है, बिहार और बंगाल दोनों राज्यों के रहने वाले लोग उसमें कर्मचारी हैं। उसमें जो उत्पादन होता है उससे देश को भी लाभ होता है। इसलिए चार वर्ष हो गये हैं, 94 में दिया था और कहा था कि एक महीने में कर देंगे, दो महीने में कर देंगे, या तीन महीने में कर देंगे लेकिन विलम्ब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इनको कब तक पुनर्जीवित करेंगे, निश्चित तिथि बताइये? 1994-95, 1996-97 तक आपकी बैठक होती रही और तिथि निश्चित नहीं हुई। अंतिम तिथि बताइये कि इस समय तक हम इसको पुनर्जीवित कर देंगे?

SHRI MURASOLI MARAN: I entirely agree with the hon. Member. A lot of time is taken. There is delay. The time overrun is resulting in escalation of the cost. That is why the SICA is being restructured. It comes under the Finance Ministry, Madam. The Bill was introduced in Parliament and it is now before the Standing Committee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is asking about the time; how much time it would take?

SHRI MURASOLI MARAN: It is for the House to decide. It is before the Standing Committee.

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Minister, why are you giving a wrong impression to the House? The term of the Standing Committee on Finance had expired on 31st July, 1997. It has not been reconstituted. *(Interruptions)*

SHRI MURASOLI MARAN: It will be reconstituted.

SHRI SANJAY DALMIA: One of the ways in which the company can be helped is by placing more orders for wagons on the company. Of course, it has to be provided with a working capital because if a company is sick, one way of reviving it is especially in terms of Government purchases, to give it some more orders than the normal, of course at competitive prices.

Secondly, they are also in the refractory field. Will the Government like to explore the possibility of placing extra orders from the Steel Ministry, steel plants, so that they can get an extra share of orders for supply of refractories at competitive prices.

I want an assurance from the Minister that they will give special consideration to these two areas.

SHRI MURASOLI MARAN: The hon. Member has given a very good suggestion. We are already talking with the Railway Ministry. We will talk with the Steel Ministry also to get more orders.

SHRI SURESH A. KESWANI: Madam, the Minister has just said that some amount of money has been provided for purchase of equipment etc. and than some more money for purchase of equipment would be given. The basic thing is that the company is running short of working capital. When the Government is providing long-term finance for long-term

use, is it the intention of the Government that the long-term finance should be put to short-term use? The company needs working capital. The operating agency is usually behaving in the manner in which the IDBI has behaved. Four years have passed, and nothing has happened. It has not been able to come up with a report. Most operating agencies, regardless of which financial institution is doing this job, are treating the sick companies in the same way. There is no application of mind. There is no realisation. Will the Minister please take some pains to see that the operating agencies are under control, that they have some accountability and that they behave which is the need of the hour?

Thank you.

SHRI MURASOLI MARAN: Madam, the hon. Minister is right. There are some irreconcilable problems with regard to the company because one agency says, "You close down seven units" and another agency says, "You close down three units." At the same time, they want infusion of fresh money and other reliefs to the extent of Rs. 677 crores. Even then, there will be formidable problems. Even after spending Rs. 677 crores, we cannot run the company in tact. We have to close down a number of units.

So, Madam, finally they have given one month. The OA will give a draft revival scheme. We will study it. I think it will be the final time.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: I think the Government is not very clear about this whole issue of industrial sickness and what it should do with sick units. This is not a problem that has happened only in India. It has happened in other countries, even in developed countries. I find that one of the key areas which we have been discussing in the Standing Committees also is lack of management in some of these companies. Money is being provided both for long-term and short-term requirements sometimes to meet the labour costs and some other times to meet wages. But no management exists in most of these companies. From my experience, I can tell you that sick companies need a better quality of management to turn them round. Unless the Minister applies his mind to this very important field of providing a proper management to these companies, just providing something in driblets and getting it going is going to be a great burden on India.

If you recollect the example of British Steel, it was very sick. They got some of the best managers from America and put them in place. The company has turned round in three years. But there was a 28th July, 1997 during the current kharif procurement season 1996-97 and rabi procurement season 1997-98. A statement giving statewise procurement of rice and wheat is annexed as statement-I (*See* below)

(c) The annual requirement of rice and wheat for the Targeted Public Distribution System is estimated at 17.50 million tonnes. The stock of foodgrains of 20.45 million tonnes in the Central Pool as on 1.7.1997 is thus sufficient for meeting the PDS requirement of the country for more than one year. It needs to be noted that Rice procurement Season shall be starting from 1.10.1997

Statement-I

State-wise procurement of wheat/rice (including paddy in terms of rice)

In lakh Tonnes

State/UT	Wheat 1997-98 (Upto 28.7.97)	Rice 1996-97 (Upto 28.7.98)
Contributing to Central		
Andhra Pradesh	—	44.44
Arunachal Pradesh	—	—
Assam	—	0.01
Bihar	Neg	Neg

Haryana	22.63	12.04
Himachal Pradesh	—	—
Karnataka	—	0.82
Madhya Pradesh	1.07	5.80
Maharashtra	—	0.33
Orissa	—	4.74
Punjab	59.57	42.20
Rajasthan	3.20	0.03
Uttar Pradesh	6.20	8.71
West Bengal	—	1.57
Chandigarh	0.02	0.14
Delhi	Neg	—
Pondicherry	—	0.02
Total	92.69	120.85

श्रीमती वीणा वर्मा: उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें कितना स्टेटवाइज प्रोक्योर किया है गेहूं और चावल वह बताया है। लेकिन क्या यह सही है कि अभी फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में दो हजार करोड़ रुपए का गेहूं और चावल जो कि गोडाउन से मिस हुआ है उसका पता नहीं लग रहा है। यह घपला सामने आया है। तो उसके अंतर्गत आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, क्या मोडस आपरेन्डी उसमें अपनाया है? ऊपर से लेकर नीचे तक आपरेशन प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सबमें घपले ही घपले हैं। बिना किसी हाई अप्स और वहां के आफिशियल्स के, उनकी मिलीभगत के वह घपला नहीं हो सकता था। तो क्या यह सामने आया है? इसमें आपने क्या इंक्वायरी की है? अभी पिछले वर्ष तक हम गेहूं का एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। इस वर्ष इम्पोर्ट किया गया है और वह भी इन्फेक्टेड वीड वाला गेहूं हमने इम्पोर्ट किया है। तो इसके क्या कारण हैं, यह मंत्री जी बताएं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, माननीय सदस्या ने जो आशंका जाहिर की है वह कुछ अखबारों में प्रकाशित हुई थी कि एफ॰सी॰आई॰ का जो हिसाब है गेहूं और चावल के स्टाक और विभाग का जो हिसाब है इनमें फर्क पाया गया है। इस पर आशंका है। लेकिन विभाग और एफ॰सी॰आई॰ के लोग हिसाब मिलान करने का काम कर रहे हैं। फिर भी जब उच्च स्तर पर यह सूचना आई तो सी॰एन्जी॰ को स्पेशल आडिट करने के लिए निर्देश दिया गया है और जांच करने का काम शुरू हो गया है। एक महीने के अंदर जांच प्रतिवेदन आ जाएगा। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया...

श्रीमती वीणा वर्मा: खराब गेहूं जो इम्पोर्ट किया।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: खराब गेहूं का और गेहूं की कमी का—पिछले साल प्रोक्योरमेंट कम हुआ—81 लाख टन। लेकिन इस बार साढ़े 92 लाख टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ है और चावल का 120 लाख टन हुआ है। इम्पोर्ट के लिए पिछले साल वर्ष 1996-97 में सरकार ने फैसला लिया था कि दो मिलियन टन गेहूं आयात किया जाए क्योंकि गेहूं की कमी का लोगों ने अहसास किया था। उसमें 17 लाख टन गेहूं आयात हो गया है। इस साल दो मिलियन टन गेहूं आयात करने का निश्चय लोगों ने किया था लेकिन अभी तक स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने दस लाख टन गेहूं आयात करने के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। लिखा-पढ़ी का काम पूरा कर लिया है। अभी आया नहीं है। वह जो इन्फेक्टेड का कहा गया है—गेहूं इन्फेक्टेड नहीं है। मतलब गेहूं का दाना—यदि उसमें खराबी हो बीमारी हो, वैसा नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो गेहूं आयात या निर्यात होता है उसमें कुछ न कुछ वीड—बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है, घास-फूस, जैसे अपने यहां जौ है गेहूं का। गांव के लोग जो खेती करते हैं वे जानते हैं। 0.1 परसेंट कहीं-कहीं पाया जाता है। तो उस तरह के वीड की शिकायत मिली—जो आस्ट्रेलिया से गेहूं आया उसमें। उस पर कृषि विभाग के लोग चौकन्ने हुए और वहां के विशेषज्ञों ने जांच की और कहा कि उस गेहूं को खाने में कोई हर्ज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए वह ठीक है। लेकिन उस तरह का जो वीड है वह भी उतना खतरनाक नहीं है लेकिन फिर भी जो एग्जॉटिक वीड है वह यहां नहीं आ जाए इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि उस गेहूं को या तो उसका आटा पिसवा दिया जाए आते-आते ताकि वीड यहां नहीं फैल सके अथवा आफ सीज़न में जब गेहूं का अभाव नहीं होता है जिस राज्य में गेहूं या जिस क्षेत्र में गेहूं नहीं पैदा होता है वहीं पर उसकी खपत कराई जाए। यह कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया तो बाद के दो सुझावों को स्वीकार कर लिया गया और उसी तरह की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसमें कोई आशंका और चिंता की बात नहीं है। कोई इन्फेक्टेड गेहूं नहीं है। उसमें वीड है तो दुनिया में कोई भी गेहूं आयात-निर्यात होता है तो कुछ न कुछ वीड तो रहता है। इसलिए वह हानिकारक नहीं है। कुछ हानि की संभावना थी उसकी भी पूरी सावधानी बरती गई है।

उपसभापति: मंत्री जी ने विस्तार से बहुत अच्छा जवाब दिया। अब इस पर कोई सप्लीमेंटरी नहीं बचती है। अब इसमें क्या बचा है?

श्रीमती वीणा वर्मा: वह जो इन्फेक्टेड वीड का आप आटा बनाने जायेंगे और जनता को खिलायेंगे, उसका स्वास्थ्य पर क्या असर होगा?

उपसभापति: वह उन्होंने कह दिया। मैं आपको समझाऊं, उन्होंने सीधा कहा कि किसी के स्वास्थ्य पर असर नहीं होगा। उसमें वीड्स से नुकसान नहीं होता है। यह डर था कि वह वीड हिन्दुस्तान में नहीं आ जाए तो आटा पिस गया। इसलिए अब कुछ नहीं है, इसमें कोई सप्लीमेंटरी नहीं है।

श्रीमती वीणा वर्मा: सैकंड सप्लीमेंटरी?

उपसभापति: आपका तो सैकंड पर्सन है। There is no second supplementary, Now, Shri Narayanasamy...*(Interruptions)*...

श्रीमती वीणा वर्मा: मैडम।

उपसभापति: बैठिए, हो गया।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: सैकंड पर्सन है तो क्या हुआ।

उपसभापति: नेवर माइंड। यह चलने दीजिए। आप क्यों दूसरे लोगों का हक मार रहे हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: लेकिन यह तो गलत सिद्धांत हुआ।।

उपसभापति: कोई सिद्धांत नहीं है जो चेयर कहती है वही सिद्धांत होता है यानी in a parliamentary democracy, Chair is the only dictator.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: ...dictated to run democracy.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak. It is his last day in this House. Let us have some consideration for him. We all wish that he should come back.

SHRI SUSHILKUMAR SHAMBHAJIRAO SHINDE: He will come back within 30 days.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We all hope that he comes back. At the moment, let us give him the best opportunity.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the hon. Minister is trying to paint a rosy picture as far as the stock position of wheat and rice is concerned. According to him, the stock position in respect of rice and wheat is 9.46 MT and 10.99 MT respectively. As far as the PDS is concerned, in several States there are complaints to the effect that the required quantity of rice and wheat is not being supplied by the Food Corporation of India.

The present Government has announced a subsidised foodgrains scheme whereby people holding red-cards would get 20 kg. rice per month. Unfortunately, people are not getting even 3 kg of rice under the new PDS scheme. The hon. Minister should explain to us why, in spite of having sufficient stock, we are not able to distribute the required quantity of wheat and rice to the State Governments under the new PDS. The hon. Minister says that we have got sufficient stocks for this year. But the question is, the States are not getting the required quantity of wheat and rice. Various States have made this complaint. I would like to know from the hon. Minister as to what system he is going to adopt for the purpose of supplying wheat and rice according to the quantities required by the States Governments.

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, 1 जून, 1997 से टार्गेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू हुआ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना और संपुष्ट वितरण प्रणाली योजना अर्थात् रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले चालू था। लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं उन्हें निश्चित रूप से अनाज सस्ते दाम पर लगभग आधा कीमत पर पहुंचाना चाहिए और उसके लिए हिसाब हुआ तो करीब 32 करोड़ लोग हिन्दुस्तान में गरीबी की रेखा के नीचे पाए गए।

जिसमें करीब 6 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए। इन 6 करोड़ परिवार को प्रति महीना 10 किलो चावल अथवा 10 किलो गेहूं देने का फैसला किया गया आधी कीमत पर। उसमें करीब 70 लाख टन अनाज की खपत का अनुमान लगाया गया, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि साल में कम से कम 175 लाख टन अनाज का उपबंध किया जाएगा। इसमें 70 लाख टन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए और

बाकी 105 लाख टन राज्य सरकारों को विभिन्न हिस्सों में उनकी मांग के अनुसार दिया गया। मुख्यमंत्री सम्मलेन में भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सर्वसम्मत फैसला लिया कि पिछले वर्षों में, दस वर्षों तक जो ऑफटेक, जो गेहूं का उठान हुआ, उसके एवरेज पर राज्य को हिस्सा मिले। इसलिए उस हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आधी कीमत पर प्रत्येक महीने कम से कम दस किलो देने के लिए और उससे भी अधिक करीब 105 लाख टन अनाज का उपबंध किया गया है। हरेक राज्य में करीब दो महीना से ज्यादा इस स्कीम को लागू हुए हो गए हैं। हरेक राज्य पर हम मोनेटरिंग कर रहे हैं कि राज्य सरकार अनाज उठा रही है या नहीं और प्रत्येक परिवार को वह मिला या नहीं। तमाम राज्यों में विभाग से एक-एक पदाधिकारी शुरू में ही, मार्च, अप्रैल में गए थे कि कार्ड सबका बनना चाहिए, निगरानी समिति का गठन होना चाहिए, फिर हरेक गोदाम में यहां से अनाज पहुंचाया जा सके, एफ०सी०आई० गोदाम में अनाज मौजूद कर दिया गया है। हम बराबर नजर रख रहे हैं, मोनेटरिंग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा अनाज उठाया जाए और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुहैया कराया जाए। राज्य सरकार चाहे तो ए०पी०एल० एबोव पोवरटी लाइन वाले को भी वह अनाज मुहैया करे। इसके अतिरिक्त एडीशनल कुछ राज्य के लोगों ने अनाज की मांग की है, वह भी हमने स्वीकृति दी है और उन्हें पहुंचाने का काम किया है।

इसलिए, महोदया, माननीय सदस्य श्री नारायणसामी जी ने जो आशंका जाहिर की है कि यह टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम लागू की गई है, फिर भी अनाज नहीं पहुंच रहा है, यह सही नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो राज्यवार महीनावार में सारा विवरण उनको दे दूंगा कि माहवारी कितना एलोटमेंट हुआ, कितना ऑफटेक हुआ, इस सबकी सूचना मैं दे दूंगा। हम बराबर नजर रख रहे हैं कि कहीं अनाज की कमी देश में नहीं होने दी जाए, खासकर गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उन्हें तुरन्त अनाज, माहवार जो उनका हिस्सा बनता है, उनके यहां पहुंचा दिया जाए।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: एफिसिएंट मिनिस्टर हैं, इनको रखना चाहिए। ....(**व्यवधान**)

उपसभापतिः हाऊस की भी आप पर नजर है कि आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आपने एक बार भी अपना रिकार्ड नहीं पढ़ा है। श्री रामजी लाल

श्री नरेन्द्र मोहनः मैडम, मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि अगर आप इस सवाल को भी जोड़ दें। 169, यह सेम क्वैश्चन है। ....(**व्यवधान**)...

Madam, we can club Q.No. 169 also with Q.No. 163.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will see.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहः जी पूछा जाए, 169 भी आप पूछ लीजिए। ....(**व्यवधान**)...

श्री रामजी लालः धन्यवाद, उपसभापति जी। मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के, अनुसार वार्षिक आवश्यकता 17.50 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है, जबकि 1.7.97 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में कुल मिलाकर 20.45 मिलियन टन आया है। आप जो कह रहे हैं कि आवश्यकता से ज्यादा है, तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने कहा था कि आपका चावल 9.20 की बजाय 9.40 प्रोक्योरमेंट हुआ, गेहूं 13.10 की बजाय 10.93 हुआ, तो मेरे ख्याल में आपकी प्रोक्योरमेंट Target के मुताबिक पहले से कम है? जैसे आप गंदुम आयात करने का कह रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप कणक की पालिसी में तब्दील कीजिए। किसान गंदुम कम बोने लगा है क्योंकि उसके भाव ठीक नहीं मिल रहे। अब आप कह रहे हैं कि आयात करेंगे। यह गंदुम आयात का मामला इस देश के लिए, मैं समझता हूं कि बड़ी बेइज्जती की बात है क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है। इस देश में बाहर से कणक मंगाई जाए, अच्छा नहीं है। इस देश में बड़ी भारी कणक हो सकती है, यदि आप अपनी पालिसी ठीक बनाएं तो। यह जो आंकड़े दिए हैं गेहूं के कि अभी आपकी प्रोक्योरमेंट 13.10 की बजाय 10.93 हुई है, तो आप यह बताने की कृपा करें कि यह कमी क्यों हुई है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहः उपसभापति महोदया, हिन्दुस्तान में 95 करोड़ के करीब लोग हैं जो सन् 95 के हिसाब से हैं और 450 ग्राम के करीब अनाज प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को 1800 से 2200 कैलोरी तक प्राप्त करने के लिए उतना अनाज चाहिए। जब कभी भी मानसून अच्छा हो जाता है, फसल अच्छी हो जाती है तो अनाज बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन जब कभी भी मानसून धोखा दे जाए या देश के किसी हिस्से में सूखा पड़ जाए,

बाढ़ आ जाए और उससे उत्पादन कुछ कम हो जाता है, तो उपभोक्ताओं का दोहन न हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, इस ख्याल से या कहीं भी अनाज की कमी न हो इसलिए सरकार हमेशा चौकन्ना रहती है कि किसी भी हालत में अनाज की कमी न होने दी जाए और इसलिए चूंकि पिछले साल अनाज का उत्पादन घट गया था, महोदया, इस वजह से अनाज आयात करने की जरूरत पड़ी। अनाज की कमी के कारण जहां-तहां अनाज, आटे, चावल की कीमत ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो उपभोक्ताओं का किसी हालत में शोषण न हो इसलिए सरकार उसमें मुस्तैदी बरतती है, इस हेतु आयात करना पड़ता है, कोई शौक से सरकार अनाज आयात करती हो या आयात करने में गौरव समझती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार इस बात में मुस्तैद है, चौकन्नी है कि हिन्दुस्तान की जनता को किसी हालत में हम अनाज की कमी नहीं होने देंगे और भूख से लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। इस बार करीब 19 करोड़ 80 लाख टन अनाज होने का अनुमान है और अच्छी फसल की आशा है, जैसी कृषि विभाग के लोगों ने सूचना दी है। इसलिए अब आयात की जरूरत नहीं है क्योंकि अद्यतन, सम्प्रति एक करोड़ लाख टन से ज्यादा गेहूं है और चावल का भी एक अक्तूबर से फिर प्रोक्योरमेंट शुरू होने जा रहा है। तो अनाज के भंडार में कमी नहीं है, फिर भी हम मुस्तैदी बरत रहे हैं। पिछले साल चूंकि प्रोक्योरमेंट कम हुआ था, केवल 81 लाख टन हुआ था लेकिन इस बार 11 लाख टन अधिक हुआ। प्रोक्योरमेंट ज्यादा हो, किसान को भी बढ़िया कीमत मिले और उत्पादन बढ़े, इसलिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार कृत संकल्प है और अनाज की कोई कमी न हो इसके लिए भी सरकार कृत संकल्प है।

उपसभापति: प्रश्न संख्या 164।

श्री नरेन्द्र मोहन: मैडम, मैंने आपसे एक विनती की थी।

उपसभापति: आपकी रिक्वेस्ट दूसरों के लिए तकलीफ पैदा करेगी।

Sick Sugar Units in the Country

*164. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number and the names of chronically sick sugar units in the country with accumulated losses particulary in the state of Punjab;

(b) *the reasons therefor;*

(c) the details of the schemes formulated by Government for revival of such sugar mills;

(d) the details of assistance rendered to each of the sick units during the last three years; and

(e) the steps being taken or proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The sugar units in the country are grouped in three sectors, namely private, public and cooperative. The sick sugar units belonging to private and public sectors are covered under the Provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. According to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), established under the provisions of this Act, 34 sick sugar companies have been registered with them from 1-1-1987 to 30-6-1997 under the provisions of this Act. The names and the accumulated losses of these companies as, reported by them at the time of their registeration with BIFR, are given in the statement-I *(See* below)

According to the BIFR, problems relating to production, marketing and finance, are the reasons cited by these companies for their sickness.

(c) to (e) The BIFR has sanctioned rehabilitation schemes for 9 sick sugar companies. Out of these, 6 companies